

उत्तराखण्ड सरकार
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
(प्रशासन प्रभाग)

संख्या : 2118/सू.एवं.लो.स.वि.(प्रशा.) 01/2007

देहरादून, दिनांक : अगस्त, 2009
26-अगस्त

कार्यालय-आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या-132/सू.एवं.लो.स.वि. (प्रशा.) 01/2007 दिनांक 23 जनवरी, 2007 के द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून में कार्यरत तथा भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन निदेशालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली के पत्र संख्या 27/7/06 -एस.आर.(एस.) दिनांक 15 मई, 2006 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित (जिन्होंने अभी तक उत्तराखण्ड राज्य मे कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, को भी सम्मिलित करते हुए)लिपिक वर्गीय कार्मिकों की अनन्तिम ज्येष्ठता परिचालित करते हुए प्रमाण सहित आपत्तियां आमंत्रित की गई थी, जिसके विरुद्ध छः कार्मिकों द्वारा परिचालित ज्येष्ठता सूची में संशोधन करने का अनुरोध किया गया था। कार्यालय आदेश संख्या-674/सू.एवं.लो.सं.वि. (प्रशा.) 01/2007 दिनांक 19 अप्रैल, 2007 के माध्यम से छः कार्मिकों से प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए पुनः संशोधित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची परिचालित की गई। परिचालित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में विभागीय पत्र संख्या-791/सू.एवं.लो.स.वि.(प्रशा.) 01/2007 दिनांक 4 मई, 2007 के माध्यम से कतिपय आपत्तियों पर शासन का परामर्श मांगा गया ।

2. शासन ने शासनादेश संख्या-77/XXII/2009-1(8)/2007 दिनांक 25 अगस्त, 2009 के माध्यम से परामर्श दिया है कि "ज्येष्ठता नियमावली-2002 में ज्येष्ठता का निर्धारण नियमित पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि से करने का प्राविधान है। अतः श्री मनोज कुमार शुक्ला को ज्येष्ठता निर्धारण का लाभ उनकी अधिसंख्य पद पर नियुक्ति की तिथि से नहीं, अपितु नियमित पद के सापेक्ष समायोजन की तिथि से देय/अनुमन्य होगा" ।

3. अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में श्री मनोज कुमार शुक्ला का नाम श्री ललिता प्रसाद भट्ट तथा श्री प्रमोद चन्द्र तिवारी के मध्य रखा गया था । शासन के उपरोक्त परामर्श के क्रम में श्री मनोज कुमार शुक्ला की ज्येष्ठता समायोजन की तिथि दिनांक 30.05.2001 से निर्धारित करते हुए उनका नाम श्री धर्म सिंह व श्री रामपाल सिंह रावत के मध्य स्थापित किया जाता है ।

3. अतः शासन के परामर्श व उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-2002 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के निम्नलिखित 41 (इकतालीस) लिपिक वर्गीय कार्मिकों की ज्येष्ठता को अंतिम रूप दिया जाता है :-


क्रमांक	कार्मिक का नाम	लिपिक वर्गीय पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि
1	श्री हरदयाल सिंह नेगी	16.06.1976
2	श्री शिवकरण तिवारी	26.06.1979
3	श्री दिनेश चन्द्र पंत	01.01.1983
4	श्री शंकर दत्त लोहानी	24.05.1983
5	श्री गोपाल सिंह राणा	18.06.1990
6	श्री रमेश राम	04.08.1990
7	श्री युवराज सिंह परिहार	04.08.1990
8	श्री कलम सिंह चौहान	07.06.1995
9	श्री चन्द्र सिंह तोमर	06.06.1995
10	श्री मोहन सिंह स्यूनरी	07.10.1995
11	श्री पान सिंह भण्डारी	07.10.1995
12	श्री भुवन चन्द्र जोशी	25.05.1996
13	श्री सुरेन्द्र सिंह	01.06.1996
14	श्री ललिता प्रसाद भट्ट	01.06.1996
15	श्री प्रमोद चंद्र तिवारी	04.06.1997
16	श्री सुनील कुमार शुक्ला	04.06.1997
17	श्री पान सिंह बिष्ट	27.08.1997
18	श्री अजय कुमार द्विवेदी	28.11.1998
19	श्री सुशील कुमार कुरील	10.09.1999
20	श्री विमलेश राठौर	18.11.1999
21	श्री विकास परमार	23.02.2000
22	श्री धर्म सिंह	25.05.2001
23	श्री मनोज कुमार शुक्ला	30.05.2001
24	श्री रामपाल सिंह रावत	09.07.2001(पूर्वान्ह)
25	श्री रणजीत सिंह बुदियाल	09.07.2001(अपरान्ह)
26	श्री राजेश्वर दयाल शर्मा	25.9.2001
27	श्री जय सिंह	25.9.2001
28	श्री जुगल किशोर	25.9.2001
29	श्री यमुना प्रसाद व्यास	25.9.2001
30	श्री भवानी दत्त जोशी	25.9.2001
31	श्री जगदीश पटवाल	25.9.2001
32	श्री दयाकृष्ण पालीवाल	25.9.2001
33	श्री हरेन्द्र सिंह	25.9.2001
34	श्री मुकेश कुमार	25.9.2001
35	श्री विनोद कुमार	25.9.2001
36	श्री दिनेश राणा	25.9.2001
37	श्री गोपाल राम	25.9.2001

38	श्री अजय प्रकाश बमराडा	06.10.2003
39	श्री चेतन पाण्डेय	16.08.2004
40	श्री नरेन्द्र सिंह सजवाण	28.02.2005
41	श्री विजय कुमार	04.07.2006


(सुभाष कुमार)
महानिदेशक

संख्या: (1)/सू.एवं लो.सं.वि.(प्रशा.) 01/2007, तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित कार्मिकों को।
2. सम्बन्धित कार्मिकों की निजी पत्रावली हेतु।


(बीर सिंह रावत)
संयुक्त निदेशक